उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली द्वारा सिविल जज वरिष्ठ खण्ड हेतु दिनांक 24.05.2023 से दिनांक 25.05.2023 दो दिवसीय **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार** विषय पर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षणार्थी जयेन्द्र सिंह द्वारा उनको उपलब्ध कराये गये विषय **''वाणिज्यिक न्यायालय उद्देश्य एवं कारण''** पर पॉवर पॉईण्ट प्रजेण्टेशन।

नब्बे के दशक में भारत की आर्थिक नीति में व्यापक बदलाव हुआ तथा उसमें निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण जैसे प्रगतिशील सिद्धान्तों का समावेश किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक विवादों में काफी बढ़ोत्तरी हुई। विधि आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि यदि वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी तंत्र नहीं होगा तो देश की प्रगति रूक जाएगी।

इसलिए 17वें विधि आयोग ने भी अपनी 188वीं रिपोर्ट 2003 में उच्च न्यायालय स्तर पर यू0के0 एवं यू0एस0ए0 की तर्ज पर वाणिज्यिक विवादों के निस्तारण के प्रयोजन से वाणिज्यिक खण्ड स्थापित किये जाने की संस्तुति की गई थी।

विधि आयोग, विशेष रूप से कुछ विदेशी न्यायालय के निर्णयों यथा shin-estu chemical vs ICICI Bank (Supreme Court of New York),Asian Bank vs Punjab and Sindh Bank (UK Court)में दिए गये इस आंकलन कि **'भारत में वादों के निस्तारण में 20–25 वर्ष लग जाते हैं'**, को निष्प्रभावी करना चाहता था। (188वीं रिपोर्ट पेज 10–23)

विधि आयोग की उक्त संस्तुतियों पर मुख्यमंत्री एवं मुख्य न्यायाधीशगण के 2009 में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में विचार किया गया जिसके परिणामस्वरूप यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में **"उच्च न्यायालय वाणिज्यिक डिविजन बिल 2009"** लाया गया यद्यपि उक्त बिल कुछ खामियों के कारण तत्समय पारित नहीं हो सका।

उक्त बिल की खामियों को देखते हुए विधि एवं न्याय मंत्रालय ने उक्त बिल को विधि आयोग के विचारार्थ भेज दिया जो अन्ततः विधि आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2015 में एन0डी0ए0 सरकार के कार्यकाल में ''**वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015**''के रूप में अधिनियमित किया गया। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए राष्ट्र की आर्थिकी का सुदृढ़ होना अति आवश्यक है।

आर्थिक ढांचे को पारदर्शी होने के साथ–साथ अवरोधमुक्त होना भी अति आवश्यक है। जैसा कि सर्वविदित है कि आज का दौर वैश्वीकरण का दौर है तथा किसी भी राष्ट्र की भौतिक सीमाओं से परे जाकर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। यदि किसी राष्ट्र में व्यवसायिक गतिविधियां अवरोधमुक्त न हो तो न केवल बाहरी राष्ट्र के, बल्कि उसी राष्ट्र के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी उस राष्ट्र में पूंजी निवेश करने में संकोच करते हैं,

जिससे उस राष्ट्र की आर्थिकी सुदृढ़ नहीं हो पाती तथा वैश्वीकरण के इस दौर में वह राष्ट्र विकास की दौड़ में पीछे छूट जाता है। भारत सरकार का चूंकि 'मेक इन इण्डिया' नारा व उद्देश्य है जो केवल तभी सम्भव है जबकि भारत के साथ–साथ विश्व भर के पूंजीपति व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भारत में पूंजी निवेश करें। जैसा कि हम जानते हैं कि वाणिज्यिक संव्यवहारों में मदभेद होना लाजमी है,

जिनका न केवल न्यायनिर्णयन आवश्यक है अपितु शीघ्र न्यायनिर्णयन अति आवश्यक है ताकि अवरोधमुक्त वाणिज्यिक तंत्र विकसित हो सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय संसद द्वारा एक प्रगतिशील अधिनियमन **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015** पारित किया गया।

भारतीय संसद का यह उद्देश्य रहा कि पक्षकारों के मध्य हुई संविदाओं का त्वरित क्रियान्वयन हो, आर्थिक अधिकारों की त्वरित पुनर्स्थापना हो। वाणिज्यिक विवादों का शीघ्र निस्तारण हो ताकि वाणिज्यिक संव्यवहार में गलत व्यवहार करने वाले पक्ष से दूसरे पक्ष को हर्जाना/मुआवजा त्वरित दिलाया जाए जिससे आर्थिक तंत्र मजबूती की पराकाष्ठा की ओर सतत प्रगति करता रहे।

इसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए **वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015** के द्वारा एक विनिश्चित मूल्य के वाणिज्यिक विवादों, उससे जुड़े अन्य मामलों व परिणामिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक खण्ड, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय, वाणिज्यिक खण्ड व वाणिज्यिक अपीलीय खण्ड का गठन किया गया।

धन्यवाद